अध्याय - ५

निष्कर्ष तथा सिफारिशें

५.१ प्रस्तावना।

५.२ पाठ्यक्रम से संबंधित निष्कर्ष और सिफारिशें।

५.३ सैद्धांतिक पाठ्यक्रम की उपयुक्तता के संबंध में निष्कर्ष और सिफारिशें।

५.४ पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की सफलता के बारें में निष्कर्ष और सिफारिशें।

५.५ पाठ्यक्रम द्वारा राष्ट्राध्यापन के उद्देश्यों की सफलता के संबंध के निष्कर्ष और सिफारिशें।

५.६ कुशल हिंदी अध्यापक बननें में सैद्धांतिक पाठ्यक्रम की पर्याप्तता के संबंध में निष्कर्ष और सिफारिशें।

५.७ प्रात्यक्षिक कार्य से संबंधित निष्कर्ष और सिफारिशें।

५.८ प्रात्यक्षिक कार्य की उपयुक्तता के संबंध के निष्कर्ष और सिफारिशें।

५.९ कुशल अध्यापक बननें में प्रत्यक्ष कार्य की कार्यनीति को मदद के संदर्भ में निष्कर्ष और सिफारिशें।

५.१० पाठ्यक्रम में निर्धारित उद्देश्यों की सफलता प्रत्यक्ष कार्य एवं कार्यनीति से होने के संदर्भ में निष्कर्ष और सिफारिशें।

५.११ प्रात्यक्षिक कार्य के मूल्यांकन प्रणाली के संदर्भ मे निष्कर्ष और सिफारिशें।

५.१२ पाठ्यक्रम को परिपूर्ण बनाने के लिए सूचनाएँ।

५.१३ नवीन अनुसंधान के लिए प्रस्तुत अनुसंधान से संबंधित कुछ विषय।

५.१ प्रस्तावना :-

प्रकरण ४ में अनुसंधान कार्य के लिए संपादित सामग्री का वर्णन, विश्लेषण एवं अर्थान्वयन किया गया है। प्रस्तुत अनुसंधान प्रबंध का विषय अध्यापक महाविद्यालयों में सीखाये जानेवाली हिंदी अध्यापन विधि के पाठ्यक्रम तथा कार्यनीति का चिकित्सात्मक अध्ययन होने से पाठ्यक्रम का सैद्धांतिक एवं प्रात्यक्षिक कार्य एवं उसकी कार्यनीति के संबंध में विवेचन किया है। प्रश्नावली एवं भेंटवार्ता, साक्षात्कार से प्राप्त सामग्री का अन्वयार्थ लगाया है। प्रस्तुत प्रकरण में अन्वयार्थ के आधार पर निष्कर्ष एवं सुझाव दिये गये है। साथ ही इस विषय से संबंधित अन्य संशोधन के लिए कुछ अन्य दिशायें सुझाव भी दिये गये है।

प्रस्तुत निष्कर्ष एवं सिफारिशें दो विभागों मे विभाजित है।

१) सैद्धांतिक पाठ्यक्रम से संबंधित निष्कर्ष एवं सिफारिशें।

२) प्रत्यक्ष कार्य से संबंधित निष्कर्ष एवं सिफारिशें।

५.२ पाठ्यक्रम से संबंधित निष्कर्ष और सिफारिशे :-

प्रस्तुत शोध प्रबंध के चौथे अध्याय में पाठ्यक्रम की उपयुक्तता, अनुपयुक्तता, उद्देश्यों की सफलता, असफलता, कार्यनीति, की उचितता, अनुचितता, पाठ्यक्रम के दुर्बल पहलू, आदि के संदर्भ में विचार किया है। साथ ही छात्राध्यापकों द्वारा, अध्यापकों द्वारा, हिंदी भाषाध्यापकों द्वारा

प्राप्त सामग्री का विश्लेषण एवं अन्वयार्थ लगाया है। उन्हीं पर आधारित निष्कर्ष एवं सिफारिशें दो विभागों में इस प्रकरणमें दी है। यहाँ निम्न परिच्छेदों में निष्कर्ष तथा सिफारिशें प्रस्तुत किये गये है।

५.३ सैद्धांतिक पाठ्यक्रम की उपयुक्तता के संबंध में निष्कर्ष और सिफारिशें।

पाठ्यक्रम की उपयुक्तता के संदर्भ में तीनों प्रश्नावलियों में प्रश्न थें।

सारणी क्र. IV . १ [पृ. ९२], IV . १९ [पृ. १६४], IV . ३२ [पृ. १९७], I . ३२ [पृ —], IV . ३२ – अ [पृ. १९८], के अन्वयार्थ के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है कि, प्रस्तुत हिंदी अध्यापन विधि का पाठ्यक्रम उपयुक्त है।

प्रस्तुत पाठ्यक्रम के दुर्बल पहलू की जाँच पड़ताल सारणी क्र. IV . २ [पृ. ९४], IV . २० [पृ. १६५], IV . २० – अ [पृ. १६७], IV . ३२–ब [पृ. २००] के अन्वयार्थ से की थी। इस पर आधारित यह निष्कर्ष निकाला गया है कि, सैद्धांतिक भाग का अध्यापन करने के लिए नियोजित समय कम है। इसीलिए सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के प्रति उदासीन दृष्टिकोन रहता है।

सैद्धांतिक घटकों के अध्ययन द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोजन करना, प्रत्यक्ष अध्यापन में सह संबंध जोडने के दृष्टिकोन का अभाव है।

उपर्युक्त परिच्छेदों के आधार पर यह सिफारिशे दी जाती है कि, बी.एड. का प्रशिक्षण कालावधि बढा देना चाहिए। यू.जी.सी.द्वारा

बी.एड पाठ्यक्रम का समय बढा देने की सूचना है। यह पाठ्यक्रम कालावधि ३२१ दिनों का बना दिया जाये यह भी सूचित किया गया है।

बी.एड्. का प्रशिक्षण कार्यक्रम दो वर्ष किया जाना चाहिए। गोविंदभाई श्रॉफ समितिने भी उसका जिक्र किया है।

बी.एड्. का प्रशिक्षण दो वर्ष का करने से प्रशिक्षण कालावधि को भी न्याय मारांकन मिलेगा। डेढ वर्षका प्रशिक्षण तथा ६ महिनों की, १ बार एकही पाठशाला में " सह अध्यापक " के स्थमें उमेदवारी [अप्रेंटीस-शीप] के तौर पर नौकरी तथा शालेय अनुभव लेनेके बाद ही अध्यापक को बी.एड. के प्रशिक्षण पूर्ण करने की डिग्री दे दी जानी चाहिए।

सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के कई घटकों को स्वयं अध्ययन के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। उदा - घटक क्र. १०, ६ : क इन घटकों जैसे घटक स्वयं अध्ययन को देकर उस पर शोध निबंध लिखने का कार्य छात्राध्यापक को दिया जाये।

पाठ्यक्रम के अनुचित घटकों की जाँच पडताल के संबंध में सारणी क्र. IV.३ [पृ.102-3], IV.३.अ [पृ १०६], IV.३.ब [पृ ११०] के अन्वयार्थ से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि, पाठ्यक्रम की अनुचितता, छात्रों की अनुभवी [अनुभव न होने से] दृष्टि के कारण प्रकट हुआ है।

उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर यह सिफारिश दी जाती है कि, हिंदी अध्यापक को सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के घटकों अध्यापन विविधांगी स्वरूप से करना चाहिए। उदा.- कोई घटक चर्चा पद्धति से, कोई घटक स्वयं

अध्ययन के लिए देकर चर्चा, वाद-विवाद, खण्डन-मण्डन पद्धति से लेने चाहिए। इस से प्रत्येक पाठ्यघटक की अहम् भूमिका अध्यापक के लिए उसके व्यवसाय में कैसे है, इसकी छात्रशिक्षकों में जागृति आयेगी।

सैद्धांतिक घटक के अध्यापन व अध्ययन के विशेष, व्यापक उद्देश्य अध्यापक को संरचित करने चाहिए तथा छात्रशिक्षकों को इन उद्देश्यों को स्पष्ट करना चाहिए। इस से प्रत्येक घटक की उचितता वे समझ सकेंगे।

५.४ पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की सफलता के बारे मे निष्कर्ष और सिफारिशें :

पाठ्यक्रम के उद्देश्य सफलता के लिए पाठ्यघटकों की पर्याप्तता से संबंधित सारणी क्र. IV.५ [पृ१२०], IV.२१ [पृ.१६९], IV.२२ [पृ.१७०] के अन्वयार्थ से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि, पाठ्यक्रम के समस्त उद्देश्यों को सफल करने में पाठ्यक्रम के घटक पर्याप्त है।

पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की असफलता के संबंध में, सारणी क्र. IV.५.अ [पृ.१२१], IV.२३ [पृ१७१-७३], IV.२३.ब [पृ१७३-७४], के अन्वयार्थ से यह निष्कर्ष निकाले है कि, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के प्रति छात्रशिक्षक एवं अध्यापक दोनों उदासीन है।

अध्यापक छात्रशिक्षकों की क्षमताएँ, योग्यताएँ आदि की ओर निर्देश करते है और अपनी जिम्मेदारियाँ टालते है।

छात्रशिक्षक केवल परीक्षाभिमुख अंक प्राप्ति का दृष्टिकोन सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के प्रति रखते है।

उपर्युक्त परिच्छेदों के आधार पर यह सिफारिशें दी जाती है कि, अध्यापक ने अपनी जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व के प्रति सजगता दिखानी चाहिए। छात्राध्यापकों को सिर्फ पाठ्यक्रम घटकों का आशय सीखाया, नोट्स देने से अपना काम खत्म हुआ ऐसा नहीं मानना चाहिए। बल्कि इस संकुचित कक्षा के बाहर जाकर हिंदी विषय के संबंध में अभिरुचि, आस्था, अभिमान, प्रेम निर्माण करना, राष्ट्रभाषा के प्रति उचित अभिवृति का विकास करना, आदि के संबंध में छात्रशिक्षकों के मन में सुयोग्य अभिवृति निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए। तथा इनकी जाँच पडताल करने की कोशिश करनी चाहिए।

हिंदी अध्यापकों ने छात्रशिक्षकों को सैद्धांतिक पाठ्यक्रम से अर्जित ज्ञान का उपयोजन अध्यापन कार्य विश्लेषण द्वारा पठित ज्ञान का उपयोग हर पाठ के आशय के विश्लेषण तत्वानुसार आशय की संरचना करने को बाध्य किया जाये। अध्यापक गुणों को जानकर उन्हे स्वयं में संक्रमित करने का प्रयास करने को बाध्य किया जाये। इस संबंध में सैद्धांतिक पाठ्यक्रम से अर्जित ज्ञान व कौशलों को अध्यापन के आशय घटक को सीखाते समय कैसे संक्रमित करना चाहिए, इसका उदाहरण स्वयं अध्यापक को देना है।

५.५ पाठ्यक्रम द्वारा राष्ट्रभाषाध्यापन के उद्देश्यों की सफलता के संबंध में निष्कर्ष और सिफारिशें :-

प्रचलित पाठ्यक्रम द्वारा राष्ट्रभाषा अध्यापन के उद्देश, जिम्मेदारियाँ समझने के संदर्भ में सारणी क्र. IV.४ [पृ.113-14], IV.६.अ [पृ.128-25] IV.६ [पृ.123], IV.३३ [पृ.२०१], IV.३३.अ [पृ.२०२], के अन्वयार्थ से

यह निष्कर्ष निकाला गया है कि, प्रचलित पाठ्यक्रम द्वारा राष्ट्रभाषा अध्यापन के विशिष्ट, व्यापक उद्देश्यों को समझने में मदद मिलती है।

राष्ट्रभाषा का अध्यापक बनने की भूमिका में पार्श्वभूमि के तौर पर बोधात्मक, भावनात्मक तैयारी इन उद्देश्यों को समझने से होती है।

राष्ट्रभाषाध्यापन के उद्देश्यों को समझा देने में पाठ्यक्रम की उपयोजितता के संबंध में सारणी क्र. IV .४.अ [पृ.११८], IV .३३.ब [पृ.१०४-५], IV .६.ब [पृ.१२६] से अन्वयार्थ लगाकर यह निष्कर्ष लगाया गया है कि, छात्रों की स्वयं की क्षमताएँ कम होने से एवं अननुभवी होने से उद्देश्यों के प्रति ही नकारात्मक दृष्टिकोन रखते है। इसीलिए इस विषयको लेकर पाठ्यक्रम घटकों की पर्याप्तता उपयोजितता के संबंध में विचार प्रकट करने की शक्ति उनमें नहीं है।

कई छात्रशिक्षकों में हिंदी के भाषाध्यापन के उद्देश्य राष्ट्रभाषा के नाते क्या है ? तथा पाठ्यपुस्तकांतर्गत आशय से उनका परस्पर संबंध कैसा है, यह समझने की क्षमता नही है।

उपर्युक्त परिच्छेदों के आधारपर यह <u>निफारिशें दी जाती है कि,</u> राष्ट्रभाषा की जिम्मेदारी स्थान व महत्त्व क्या है, यह समझने के लिए राष्ट्र-भाषा के संबंध में किताबें पढने के लिए उपलब्ध कराना अध्यापक महाविद्यालय का काम है।

महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि, " राष्ट्रभाषा के बिना मेरा राष्ट्र गूँगा है "। गांधीजी का यह वाक्य राष्ट्रभाषा का अध्यापन करने वालों को उनकी राष्ट्रीय जिम्मेदारियाँ समझने के लिए प्रेरणा देगा।

राष्ट्रभाषा का महत्त्व छात्रशिक्षक को समझा देना चाहिए। आयरिश कवि थॉमस डेव्हिस के मतानुसार कोई भी राष्ट्र राष्ट्रभाषा के सिवाय अपना अस्तित्त्व नहीं रख सकता। राजकीय आक्रमण होने के समय राष्ट्रभाषा ही देश का अभेध पर्वता रूप से रक्षा करती है। अत: राष्ट्र-भाषा का अध्यापन से राष्ट्रीय एकात्मता दृढ ऐक्यभावना विकसित करने का माध्यम है, इस की उपलाब्धी देने में, समाज में हिंदी भाषाध्यापक की अहम् भूमिका शिक्षा प्रणाली में भूमिका के प्रति छात्रशिक्षकों का जागृत करने का प्रयास अध्यापक को करना है।

एम.सी. छागला ने अपने १८ वी शिक्षा समिती के अध्यक्षिय भाषण में कहा था, " हिंदी भारत की एकता का प्रतीक है। इसका प्रचार व विकास करना हम सबका कर्तव्य है। हम हिंदी को समस्त देश में एक देश को समझने तथा विचार विनिमय करने की भाषा, संपर्क भाषा बनाना चाहते है। " इसी के आधार पर राष्ट्रभाषा की संपर्क भाषा के रूप में जिम्मेदारियाँ व महत्त्व समझ लेने में अध्यापक को छात्रशिक्षक को दिशा दिखानी चाहिए।

५.६ कुशल हिंदी अध्यापक बनने में सैद्धांतिक पाठ्यक्रम की पर्याप्तता के संबंध में निष्कर्ष और सिफारिशें :-

कुशल हिंदी भाषाध्यापक बनने में पाठ्यक्रम का योगदान, पर्याप्तता के संबंध में सारणी क्र. IV .७ [पृ.१२८], IV .३४ [पृ.२०५], IV .३४.अ [पृ.२०६] के अन्वयार्थ से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि, प्रचलित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा का कुशल अध्यापक बनने में पर्याप्त स्वरूप से योगदान देता है।

कुशल हिंदी भाषाध्यापक बनने में पाठ्यक्रम उपयोगिता कैसे है ? तथा उसमें कौन से परिवर्तन आवश्यक है ? इस संबंध मे सारणी क्र. IV . २५ [पृ.७६-७७], IV . २५.अ [पृ.७८-७९], IV . ३४.ब [पृ.२०७], IV . ३५ [पृ २०८] IV. ३५.अ [पृ.२०९] के अन्वयार्थ से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि, सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के अध्यापन कार्यनीति में परिवर्तन लाना आवश्यक है।

पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा में निर्धारित अंको को बढाना चाहिए, क्योंकि "पच्चास अंक" का भारांकन, बहुत ही कम है।

भाषा का विषय ज्ञान, क्षमताएँ प्रदान करनेवाले पाठ्यघटकों की पाठ्यक्रम में कमी है।

उपर्युक्त परिच्छेदों के आधार पर यह सिफारिशे दी जाती है कि, सैद्धांतिक पाठ्यक्रम घटकों का अध्यापन विविध पद्धतियों द्वारा अध्यापकों को करना चाहिए। सिर्फ अध्यापन कर अपनी जिम्मेदारी पूरी हुई यह न समझ कर राष्ट्रभाषा अध्यापक के विशेष गुणों को छात्राध्यापक संपन्न करे, इसके लिये हमेशा प्रयास करना चाहिए।

राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय-एकात्मता, संस्कृति संक्रमण का साधन होती है। अत: राष्ट्रभाषा के प्रति गौरव अभिमान रखने की अभिवृति अध्यापक को छात्रशिक्षकों में विकसित करनी चाहिए।

[ब] ५.७ प्रात्यक्षिक कार्य एवं कार्यनीति से संबंधित निष्कर्ष और सिफारिशे :-

प्रस्तुत विभाग में हिंदी अध्यापन विधि पाठ्यक्रम के प्रत्यक्ष कार्य एवं

कार्यनीति के संबंध में निष्कर्ष व सिफारिशें दी गई है। तीनों प्रश्नावलियों एवं साक्षात्कार के दौरान की गयी चर्चा से निष्कर्ष और सुझाव निम्नांकित है -

५.८ प्रात्यक्षिक कार्य की उपयुक्तता के संबंध में निष्कर्ष और सिफारिशें :-

प्रात्यक्षिक कार्य की उपयुक्तता, नीजि अध्यापन में होने के संबंध में सारणी क्र. IV .८ [पृ.१३२], IV .३२.ब [पृ.२००], IV .३३.अ [पृ.२०४] के अन्वयार्थ से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि, प्रात्यक्षिक कार्य उपयुक्त है।

नीजि अध्यापन कार्य की क्षमताएँ प्रदान करने में प्रात्यक्षिक कार्य उपयुक्त है।

सूक्ष्माध्यापन कार्यशाला, आशययुक्त अध्यापन कार्यशाला के अनुभवों व अभ्यास से अध्यापन कार्य की क्षमताओं पर प्रभुता आती है। हिंदी विषयज्ञान की व्यापकता समझ में आती है।

प्रात्यक्षिक कार्य के दुर्बलताएँ जानने के लिए प्रात्यक्षिक कार्य कि अनुपयुक्तता के संदर्भ में सारणी क्र. IV .९ [पृ.१३३-३४], IV .९.अ [पृ.१३५-३५] IV .३४.अ [पृ.२०७] के अन्वयार्थ से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि, प्रात्यक्षिक कार्य के प्रति और उससे परिणामों के प्रति कई छात्राध्यापक उदासीन है।

पाठ्यक्रम का आवश्यक भाग संपन्न करना तथा अंक प्राप्त करना यही दृष्टिकोन है।

छात्रशिक्षकों को मार्गदर्शन का अभाव होने से अपेक्षित परिवर्तन नही दिखा पाते, साथ ही अभ्यास का अवसर प्रत्याकरण का अभाव भी है।

उपर्युक्त परिच्छेदों के आधार पर यह सिफारिशें दी जाती है कि, बी.एड्. काठ्यक्रम के लिए प्रवेश देते समय स्नातक पदवी की श्रेणी के साथ साथ एक अभिवृति कसौटी लेकर उसमें से योग्य अभिवृति से युक्त छात्रशिक्षकों को बी.एड्. प्रशिक्षण लेने का अवसर देना चाहिए। इस कसौटी में अध्यापन की क्षमताएँ, दायित्व, मूल्य, अभिवृति इ. द्वारा प्रशिक्षणार्थि की जाँच होना जरूरी है।

प्रशिक्षण के प्रति उदासीन, नाकारावृत्ति दर्शानेवाले छात्रशिक्षक अध्यापकों के लिए विचित्र मानसिकता लिए हुए एक आव्हान होते है। अध्यापक को चाहिए कि, इन छात्रशिक्षकों को प्रात्यक्षिक कार्य के दौरान त्रुटकार्य में ज्यादा क्रियाशील रखे। ज्यादा कार्य को संभालने के लिए उन्हें प्रयुक्त करे। इससे आत्मविश्वास बनकर अभिवृति बदलने में मदद मिलेगी।

५.९ कुशल अध्यापक बनने में प्रत्यक्ष कार्य की कार्यनीति के संदर्भ में निष्कर्ष और सिफारिशें :-

कुशल अध्यापक बननें में प्रत्यक्ष कार्य की कार्यनीति के संबंध में सारणी क्र. IV .१० [पृ.१३८], IV .११ [पृ.१४०], IV .१२ [पृ.१४१], IV .२६, [पृ.१८१], IV .१३ [पृ.१४२-४३], IV .१३.अ [पृ.१४३-४६], IV .२८ [पृ.१८५], IV .२८ अ [पृ.१८६-८७] के अन्वयार्थ के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि, कुशल अध्यापक बननें में प्रत्यक्ष कार्य एवं पाठ्यक्रम में मार्गदर्शित कार्यनीति मदद करती है।

व्यक्तिगत पूर्वधारणाएँ तथा कम क्षमताएँ होने से कई छात्रशिक्षकों का दृष्टिकोन प्रत्यक्ष कार्य की कार्यनीति के प्रति उदासीन है।

समय की कमी के कारण प्रात्यक्षिक कार्य की कार्यशालाओं में अभ्यास का अवसर कम मात्रा में मिलता है।

कार्यशालाओं दरम्यान तुरंत, वस्तुनिष्ठ छात्राध्यापकों से संबंधित मूल्यांकन प्रणाली का अभाव है ।

अध्यापकों से मार्गदर्शन तथा प्रत्याकरण का अभाव है।

उपर्युक्त परिच्छेदों के आधारपर सिफारिशें दी जाती है, छात्र - शिक्षकों की पूर्वधारणाएँ बदलकर प्रात्यक्षिक कार्य के प्रति उचित दृष्टिकोन विकास करने का प्रयास अध्यापकों को करना चाहिए। छात्रशिक्षकों के कार्यपर प्रत्याभरण देना,, एवं उनके मनमें आत्मविश्वास बनाये रखने का, उनके व्यक्तित्व को अध्यापक के रूप में " आयडेंटिटी " देने का प्रयास अध्यापक करे। इससे उदासीन दृष्टि दूर होने में सहायता मिलेगी।

अध्यापन क्षमताओं पर प्रभुता पाने के लिए कम क्षमताबाले प्रशिक्षणार्थियों को ज्यादा समय देने की उपलब्धि प्रात्यक्षिक कार्य के नियोजन में होनी चाहिए। अर्थात इसलिए प्रत्येक प्रत्यक्ष कार्य कार्यशाला के समय में बढौतरी आवश्यक है।

बी.एड्. प्रशिक्षण कालावधि एक वर्ष से बढाकर डेढ वर्ष का बना दिया जाये, जैसे कि, यू.जी.सी.द्वारा सुझाव दिया गया है। इस बारें में

अंमल होना जरूरी है। इससे क्षमताओं पर प्रभुता पाकर अभ्यास के लिए समय की ज्यादा उपलाब्धि हो सकती है।

प्रत्यक्ष कार्य की कार्यशालाओं के दौरान छात्रों की क्षमताएँ, अपेक्षित परिवर्तन आया है या नही ? इनके बारे में तुरंत व वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रणाली, परीक्षण / निरीक्षण सारणियों द्वारा श्रेणी के आधार पर बनाकर विकसित करनी चाहिए। इसका अवलंब करने से छात्र अपनी प्रगति को लेकर जागृत भी हो जायेंगे, मूल्यांकन भी वस्तुनिष्ठ होने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही अध्यापकों को प्रत्याभरण देना सुचारु रूप से संभव होगा।

कुशल हिंदी अध्यापक बननें मे प्रत्यक्ष कार्य की पर्याप्तता, अपर्याप्तता एवं अन्य प्रत्यक्ष कार्य के समावेश करने के संदर्भ में सारणी क्र. IV .१८ [पृ.१५७] IV .१८.अ [पृ.१५८-५९], IV .३१.ब [पृ.१९५] के अन्वयार्थ से यह निष्कर्ष निकाला है कि, प्रचलित प्रत्यक्ष कार्य पर्याप्त है। उसे अधिक मात्रा में पर्याप्त बनाने हेतु हिंदी भाषा के विविध अंगों से संबंधित प्रत्यक्ष कार्य का समावेश करना आवश्यक है।

उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर यह सिफारिश दी जाती है कि, हिंदी अध्यापन विधि का अध्ययन संपन्न करके हिंदी भाषा का कुशल, क्षमतापूर्ण अध्यापक बनने के लिए भाषा के विविध अंगो को प्रभुता से संपन्न करने के लिए प्रत्यक्ष कार्य का समावेश भाषा के विविध अंगो के आधार पर करना चाहिए।

५.१० पाठ्यक्रम में निर्धारित उद्देश्यों की सफलता प्रत्यक्ष कार्य एवं कार्यनीति से होने के संदर्भ में निष्कर्ष और सिफारिशे :-

पाठ्यक्रम में निर्धारित उद्देश्यों की सफलता प्रत्यक्ष कार्य द्वारा एवं

कार्यनीति द्वारा होने के संबंध में सारणी क्र. IV . १५ [पृ. १५२] , IV . १६ [पृ. १५३], IV . २९ [पृ. १८९] , IV . ३० [पृ. १९०] के अन्वयार्थ के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि, प्रत्यक्ष कार्य द्वारा पाठ्यक्रम में निर्धारित उद्देश्यों की सफलता यथा तथा स्वरूप से होती है।

प्रत्यक्ष कार्य की कार्यनीति के दुर्बल पहलू एवं उद्देश्यों की असफलता के संबंध में सारणी क्र. IV . १७ [पृ. १५४-५५], IV . १७.अ [पृ. १५६], IV . ३१ [पृ. १९१-९२], IV . ३१.अ [पृ. १९४] के अन्वयार्थ से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि, प्रात्यक्षिक कार्य के कार्यनीति द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति बहुत कम मात्रा में होती है।

प्रात्यक्षिक कार्य की कार्यनीति का आयोजन अध्यापक महाविद्यालयों द्वारा अपने अपने उपलब्ध समय से किया जाता है न कि पाठ्यक्रम में जो निर्धारित समय दिया है, उसके अनुसार होता है। उदा. - इसी वर्ष [१९९४-९५] शैक्षिक वर्ष में एक अध्यापक महाविद्यालय में सूक्ष्माध्यापन कार्यशाला के तुरंत बाद, आशययुक्त अध्यापन कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

प्रात्यक्षिक कार्य के उद्देश्यों की सफलता, सजगता के प्रति अध्यापक व छात्राध्यापक दोनो उदासीन होने से प्रात्यक्षिक कार्य का परिणाम अपेक्षित मात्रा में नही दिखाई देता। उदा. - आशययुक्त अध्यापन कार्यशाला के बाद सलग सराव पाठों के [४ पाठ] आशय का विश्लेषण व संरचना छात्राशिक्षक व्यक्तिगत रूपसे नही कर पाते।

प्रात्यक्षिक कार्य की आयोजना व कार्यनीति यथा तथा रूप से कार्यान्वित होने से उद्देश्यों की सफलता भी यथा तथा स्वरूप से ही होती है।

उपर्युक्त परिच्छेदों के आधार पर यह सिफारिशें दी जाती है कि, उद्देश्यों की सफलता तभी हो सकेगी जब हर अध्यापक अपने प्रात्यक्षिक कार्य - शाला में त्रुट काम में पूर्वनियोजित रूप से कार्यनीति को अपनाएँ।

अध्यापक को प्रत्येक प्रत्यक्ष कार्य के कार्यशाला से पहले संबंधित सैद्धांतिक घटकों का अध्यापन कर लेना चाहिए। उद्देश्यों के प्रति सफलता का दायित्व स्वयं की ओर लेकर छात्रशिक्षकों में भी उद्देश्यों के प्रति सजगता एवं ठोस शैक्षिक अनुभवों द्वारा उद्देश्यों के प्रति जागृत दृष्टि विकसित करनी चाहिए।

प्रत्येक प्रत्यक्ष कार्य के उद्देश्यों की कार्यशाला की कार्यनीति तथा उससे अपेक्षित परिणाम को छात्रशिक्षकों को विस्तृत स्वरूप की जानकारी दी जाये। हो सके तो प्रत्येक प्रात्यक्षिक कार्यशाला के अंत में इस संबंध मे मूल्यांकन करने का प्रयास कर तथा छात्रशिक्षक को व्यक्तिगत पृष्ठपोषण दे। यही कार्य चर्चा द्वारा छात्रशिक्षकों का आपस में सहाध्यायी का मूल्यांकन करके भी हो सकता है।

अंत: प्रत्येक कार्यशालाके अंत में अपने सहाध्यायी का मूल्यांकन करने के बारे में अध्यापक को एक पद्धति विकसित करना आवश्यक है।

प्रत्यक्ष कार्य की कार्यनीति किस ढंग से होती है ? तथा अच्छे ढंग से होने के लिए किन बातों की आवश्यकता है, इसके संबंध में सारणी क्र. IV .१२ [पृ.२४९], IV .१४ [पृ.२४०-४८], IV .१४.अ [पृ.२५०] के अन्वयार्थ पर यह निष्कर्ष निकाले गये है कि, प्रचलित कार्यनीति अच्छे प्रकार की होते हुए भी

उसमें प्रथमदर्शनी न दिखनेवाली त्रुटियाँ भी है।

कार्यनीति करनेवाले अध्यापकों मे क्षमताओं की कमी है।

प्रत्यक्ष कार्य के कार्यनीति दौरान छात्रशिक्षकों का रचनात्मक [फार्मेटिव्ह] मूल्यांकन का अभाव है।

उपर्युक्त परिच्छेदों के आधार पर यह सिफारिशें दी जाती है कि, अध्यापक महाविद्यालयों मे अध्यापको की भर्ति करते समय अध्यापक की क्षमताएँ भाषिक, कृतीपूर्ण, कौशलों की जाँच एक लिखित कसौटी को संपन्न करने के बाद ही की जाये। सिर्फ एम.ए., एम.एड्. [बी +] यह श्रेणी काफी नही है। इसके बारें में शिक्षा शास्त्र विभाग को विचार करना चाहिए।

प्रत्यक्ष कार्य की कार्यशालाओं मे छात्रशिक्षक का तुरंत मूल्यमापन पद्धति को विकसित करना चाहिए। इसके बारें मे संशोधन से " परिक्षण तालिकाएँ, सारणीयाँ " विकसित करनी चाहिए। तथा इस द्वारा ज्यादा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है, इसके बारें में विचार होना आवश्यक है। यह विचार अध्यापकों को ही करना चाहिए।

५.११ प्रात्यक्षिक कार्य के मूल्यांकन प्रणाली के संदर्भ में निष्कर्ष और सिफारिशे :

प्रात्यक्षिक कार्य के मूल्यांकन प्रणाली के संबंध में सारणी क्र. IV .१८ [पृ.१५७], IV .१८.अ [पृ.१५८-१५] के अन्वयार्थ के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि, प्रचलित मूल्यांकन प्रणाली में कुछ त्रुटियाँ है। प्रत्यक्ष कार्य संपन्न होने

के बाद [समेटिव्ह] मूल्यांकन पद्धति है।

उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर यह सिफारिश दी जाती है कि, प्रात्यक्षिक कार्य की कार्यशाला ओं के दौरान छात्रों की क्षमताएँ, कृतियाँ, अभिवृत्ति आदि के संबंध में रचनात्मक [फार्मेटिव्ह] स्वरूप के मूल्यांकन पद्धति का अवलंब करना चाहिए। इसलिए शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा इस प्रकार के मूल्यांकन पद्धति का विकास करना आवश्यक है। इस प्रकार से मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ तो नही होगा फिर भी व्यक्तिनिष्ठता, व्यक्ति-प्रकार से मुक्त जरूर हो सकेगा।

५.१२ पाठ्यक्रम को परिपूर्ण बनाने के लिए सूचनाएँ :-

प्रस्तुत अनुसंधान कार्य प्रसायन होते समय पाठ्यक्रम को अधिक उपयुक्त बनाने हेतु एवं सर्वांग परिपूर्ण बनानेहेतु प्राप्त सुझाव व सूचनाएँ निम्नांकित है -

१] बी.एड. का पाठ्यक्रम दो वर्ष का किया जाये। इसमें प्रशिक्षण कालावधि ३ सत्रों का हो तथा सहशिक्षक के रूप में [अप्रेंटिसशिप] छः महिने की पाठशाला में अध्यापन कार्य आवश्यक किया जाये।

२] हिंदी अध्यापन विधि की वार्षिक परीक्षा सौ अंको की करनी चाहिए।

३] सैद्धांतिक पाठ्यक्रम की कार्यनीति में परिवर्तन आवश्यक है। स्व अध्ययन के लिए पाठ्यघटक निर्धारित कर परीक्षा में उस पर प्रश्न न पूछे जाये, बल्कि संशोधन प्रबंध लिखवा लिया जाये।

४] स्वयं अध्ययन पुस्तिकाएँ लिखने का प्रत्यक्ष कार्य रखा जाये। इसके लिए माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यपुस्तकों के घटक निर्धारित करे।

५] भाषिक क्षमताएँ विकसित करने के लिए भाषा के विविध अंगो पर अधारित प्रत्यक्ष कार्य की उपलाब्धि पाठ्यक्रम में की जानी चाहिए।

६] माध्यमिक पाठशालाके छात्रों के बुद्धि और क्षमतानुसार तथा कक्षा नुसार अध्ययन की किमान क्षमताएँ, निर्धारित कैसे करे, एवं उन्हे संपादन करने के लिए कौनसे कार्यक्रम [उपक्रम] की योजना करनी चाहिए, इस संबंध में सैद्धांतिक भाग के घटक ८ से संबंधित हर भाषा के अंग पर प्रत्यक्ष कार्य की योजना पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। उदा.- " लेखन क्षमता " के लिए " किमान क्षमताएँ " निर्धारित करना। इन किमान क्षमताओं को संपन्न करने के लिए कार्यक्रम [उपक्रम] बनाना, जैसे की - भाषांतर करना, पाठ के आशय प्रश्न देकर उत्तर लिखवाना, हिंदी शुद्ध लेखन का अभ्यास करवाना, मद्दे देकर कहानी लिखवाना आदि।

७] अध्यापन साधनों के संबंध में सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान ही मिलता है। अध्यापन के शैक्षिक साधनों को बनाना एवं उसका तंत्रशुद्ध रीति से उपयोग में लाने के लिए अध्यापन साधनों से संबंधित प्रात्यक्षिक कार्य अत्यावश्यक रूप से आयोजित करना चाहिए।

८] प्रात्यक्षिक कार्य की कार्यशालाओं के उपरांत मूल्यांकन प्रणाली में व्यक्तिनिष्ठता आती है। यह त्रुटि दूर करने के लिए तथा कम करने के लिए तुरंत रचनात्मक [फॉर्मेटिव्ह] मूल्यांकन प्रणाली का अवलंब किया जाना चाहिए। इसमें छात्रशिक्षकों की भाषिक क्षमताएँ, अध्यापन कौशल

व व क्षमताएँ, विषय ज्ञान, कृतियाँ आदि के बारे में मूल्यांकन श्रेणी के आधार पर किया जाने की उपलाब्धि होनी चाहिए।

९] छात्रशिक्षकों की अभिवृति का एवं अभिरुचि का मूल्यांकन होनेके लिए कसौटियाँ की उपलाब्धि हो।

५.१३ नवीन अनुसंधान के लिए प्रस्तुत अनुसंधान से संबंधित कुछ विषय :-

हिंदी अध्यापन विधि का पाठ्यक्रम का एवं कार्यनीति का चिकित्सक अध्ययन करते समय जो विषय प्रस्तुत अनुसंधान कार्य से संबंधित नही थे, उनका गहरा अध्ययन अनुसंधानकर्ति ने नहीं किया है। फिर भी अगर अन्य अध्ययनकर्ताओं ने निम्न विषयों का गहरा अध्ययन कियाततो प्रस्तुत संशोधन क्षेत्र अधिक निखर उठेगा।

१] हिंदी भाषा का अध्यापक होने के लिए भाषिक क्षमताएँ जाँच परखने के लिए भाषिक कसौटियाँ को संरचित किया जाये।

२] राष्ट्रभाषा का अध्यापक होनेके नाते अध्यापक की अभिरुचि, अभिवृति, राष्ट्रभाषा के उद्देश्य राष्ट्रभाषा के प्रति अभिवृतियाँ, दृष्टिकोन का मूल्यांकन करनेवाली सारणियाँ, कसौटियाँ विकसित करने विषय में संशोधन करे।

३] पाठ्यक्रम का एवं प्रात्यक्षिक कार्य की कार्यनीति का तात्कालिक मूल्यांकन करने के लिए तासिकाएँ, कसौटियाँ संशोधित करे और उन्हें

संरचित करें। इस दिशामें संशोधन आवश्यक है।

४] भाषा के विविध अंगों के बारे में बी.एड. के पाठ्यक्रम में प्रत्यक्ष कार्य की संरचना के संबंध में संशोधन किया जाये।